

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 322/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00327)

1. केशूराम
2. पृथ्वी
3. भगवानसिंह } पि० कैली } जाति कोली निवासी सुजानपुरा तह० टोडाभीम
जिला करौली।

.....अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

.....रैस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश अति०
जिला कलक्टर करौली मु०नं० 30/2015 निर्णय दिनांक 11.6.
2015 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थिति:-

1. श्री सुरेशचंद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 4-7-2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के निर्णय दिनांक 11.6.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार टोडाभीम ने आदेश दिनांक 9.3.2015 से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये धारा 91 एल०आर०एक्ट के तहत अपीलान्ट को बेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील तहत अदालत अति० जिला कलक्टर करौली के समक्ष की गई। अति० जिला कलक्टर करौली द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2015 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार टोडाभीम का निर्णय यथावत रखा गया। इस आदेश के विरुद्ध यह

4-7-2022

अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट को जारिये तत्काल तलब किया गया। तलब धरान्तरी तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता तयस्थित हुए।

करोली अपीलान्त द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि तलब अदालत के आदेश खिलाफ कानून रूयेवाद निसिल है जो काबिल खरीदी है। यह कि इन दो तलब अदालतों के आदेश न्याय संगत नहीं कहे जा सकते तलब तहसीलदार टोडाभीम द्वारा अपीलान्त को खसरा नम्बर 615 रकबा 0.10 है 0 ग्राम कुलपुरा पर अतिक्रमि मानते हुये बेदखल करते हुये 50 गुणी शास्ती 40/- रूपये कायम कर 3 बरस की सिविल कारावास से दण्डित किया था जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील न्यायालय अति 0 जिला कलक्टर करौली के न्यायालय में अपील पेश की जिसमें तलब अदालत में अपीलान्त द्वारा अन्डरटेकिंग दी। हमने किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है तथा भविष्य में भी कोई कब्जा नहीं करेंगे तथा शास्ती जमा करा दी है। उसके बावजूद तलब अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया ना ही जबाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है। यह कि तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अति 0 कलक्टर करौली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलान्त अपने अधिवक्ता के सम्पर्क में रहे लेकिन अधिवक्ता द्वारा अपील खारिज होने के बारे में जानकारी नहीं दी गई जबकि अपीलान्त द्वारा अपीलीय न्यायालय अन्डरटेकिंग दी थी कि हमने कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा भी नहीं करेंगे। पुलिस थाना टोडाभीम द्वारा अपीलान्त को गिरफ्तार कर अदालत तहसील टोडाभीम में तहसीलदार के सम्क्ष प्रस्तुत करने पर अपील खारिज होने का पता चला जिस पर अपीलान्त द्वारा अपने अधिवक्ता नियुक्त कर निर्णय की प्रति प्राप्त की है। इसलिये दिनांक 11.6.2015 से आज तक का डिले कन्डोन फरमाया जाना न्यायसंगत है। अपील अन्दर यौम जानकारी अन्दर मियाद पेश की है तथा प्रार्थना पत्र दफा-5 पृथक से संलग्न है। वकील अपीलान्त ने मियाद के सम्बन्ध में आरआरडी 2003 पेज-481 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया गया। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा भविष्य में कब्जा नही करने तथा शास्ती राशि जमा करा देने की अन्डरटेकिंग पर भी गौर नही कर अदालत मातहत का निर्णय यथावत बनाये रखने के आदेश पारित कर अपील अपीलान्त खारिज कर कानूनी भूल की है। वकील अपीलान्त ने आरआरडी 2002 पेज-603 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा कब्जा हटाने के सम्बन्ध में अन्डरटेकिंग व शपथ पत्र पेश किये जाने पर भी सिविल कारावास की सजा माफ की गयी है जबकि अपीलान्त ने प्रकरण में कब्जा नही होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गयी है तथा गिरफ्तारी होने के पश्चात तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की गई जिसमें में भी अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है और ना ही अपीलान्त का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा है इसलिये अपील स्वीकार किया जाना न्याय संगत है। अपीलान्त परिवार का एक

2012

मात्र कमाऊ सदस्य है तथा कोरोना के दौर में परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है इसलिए अपील गंजूर फरमाया जाना न्याय संगत है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट रवीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश हर दो अदालत अति० कलक्टर करौली दिनांक 11.0.2015 व तहसीलदार टोडाभीम दिनांक 9.3.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट की राजा माफ की जावे।

वकील रैस्पोजेन्ट राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। विवादित भूमि चारागाह है जिस पर अतिक्रमण किये जाने के कारण तहसीलदार टोडाभीम द्वारा विवादित भूमि से वेदखल किये जाने व शास्ती आरोपित करते हुए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। इस निर्णय को अपीलाधीन निर्णय द्वारा उचित माना गया है। अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर अपील पेश की गयी है। अतः उक्त अपील मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

वकील अपीलान्ट व सरकारी पैरोकार की बहस व तर्कों पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धी मूल पत्रावली व बहस में वर्णित नजीरों में उद्धरित निर्णय का अध्ययन करने के बाद अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा-5 पर विचार किया गया। मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:-

"Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर०बी०जे० (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-


"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मीमो ऑफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है तथा सरकारी पैरोकार द्वारा इसके विरुद्ध कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया है केवल वक्त बहस आपत्ति की है जो कि बिना किसी आधार के मानने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त नजीरों में वर्णित निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से सादर सहमत होते हुये उक्त अपील अन्दर मियाद मार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो विद्वान तहसीलदार टोडाभीम द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से अतिक्रमण किये जाने की पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आदेश दिनांक 9-3-2015 को पारित किया है जिसके द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व तीन माह के सिविल कारावास तथा 50 गुना शास्ति के दण्ड से दण्डित किया गया है जो कि उचित है तथा विद्वान अति० जिला कलक्टर, करौली द्वारा भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11-6-2015 के द्वारा अपील को इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलान्ट द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मौके पर कब्जा नहीं होने का कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय भी उचित प्रतीत होता है परन्तु अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो ऑफ अपील के साथ संलग्न दस्तावेज में पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गयी मीका रिपोर्ट दिनांक 21-9-2020 की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसके अनुसार विवादित भूमि पर अपना अतिक्रमण हटा लिया है। इसके अलावा अदालत मातहत में भी इस आशय की अंडरटेकिंग दी गयी है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर आरआरडी 2002 पेज-603 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय 9-3-2015 में दिये गये तीन माह के सिविल कारावास के सम्बन्ध में सहानुभूति का रूख रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-3-2015 में दिये गये तीन माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है तथा बेदखली व शास्ती के दण्ड को यथावत रखा जाता है। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि भविष्य में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (6) के तहत अपीलान्ट के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-7-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पारित किया गया।


(साँवर मल्ल वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
भरतपुर